दृष्टि The Vision

drishti

GENERAL STUDIES (Test–2)

निर्धारित समय: तीन घंटे
Time allowed: Three Hours

DTVF/23 (J-A)-M-**GSM (P-III)-2302**

अधिकतम अंक: 250
Maximum Marks: 250

Name: Ravi Gangwar

Mobile Number: ______

Medium (English/Hindi): Hindi

Reg. Number: ______

Center & Date: Mukherjee Nagar, 27.07.23

UPSC Roll No. (If allotted): 0806397

प्रश्न-पत्र के लिये विशिष्ट अनुदेश

कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:

इसमें **बीस** प्रश्न हैं तथा **हिन्दी** और **अंग्रेज़ी** दोनों में छपे हैं।

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिये गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहियें जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिये। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिये।

प्रश्न-सह-उत्तर-पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिये।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instruction carefully before attempting questions:

*There are **TWENTY** questions printed both in **HINDI** and **ENGLISH**.*

All the questions are compulsory.

The number of marks carried by a question is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

केवल मूल्यांकनकर्त्ता द्वारा भरा जाए *(To be filled by Evaluator only)*

Question Number	Marks	Question Number	Marks
1.	3.5	11.	6.5
2.	3	12.	7
3.	4.5	13.	6
4.	4.5	14.	6.5
5.	3	15.	6
6.	4	16.	6
7.	3	17.	6.5
8.	3	18.	7
9.	3.5	19.	6.5
10.	4.5	20.	6.5
Grand Total (सकल योग)	= 101		

मूल्यांकनकर्त्ता (हस्ताक्षर)
Evaluator (Signature)

पुनरीक्षणकर्त्ता (हस्ताक्षर)
Reviewer (Signature)

drishti | दृष्टि The Vision

Feedback

1. Context Proficiency (संदर्भ दक्षता)
2. Introduction Proficiency (परिचय दक्षता)
3. Content Proficiency (विषय वस्तु दक्षता)
4. Language/Flow (भाषा/प्रवाह)
5. Conclusion Proficiency (निष्कर्ष दक्षता)
6. Presentation Proficiency (प्रस्तुति दक्षता)

Dear Student

→ आपकी विषय वस्तु की समझ ठीक है

→ उत्तर में अधिकतम महत्वपूर्ण बिन्दुओं को शामिल करें।

→ लेखन शैली एवं प्रस्तुतीकरण ठीक है और बेहतर हो सकता है।

→ निष्कर्ष दक्षता एवं परिचय दक्षता ठीक है और प्रभावी हो सकता है।

→ प्रयास ठीक है। निरंतर अभ्यास जारी रखें।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

1. "अध्यादेश का पुनः प्रख्यापन, संविधान के साथ एक छल तथा लोकतांत्रिक विधायी प्रक्रिया का विध्वंस है।" प्रमाणित कीजिये। (150 शब्द) 10

"Repromulgation of Ordinance is a fraud on the constitution and a subversion of democratic legislative process". Substantiate. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

अध्यादेश का प्रावधान भारतीय संविधान में अनु०-123 के तहत आपातकालीन परिस्थितियों में विधि निर्माण हेतु किया गया है।

अध्यादेश का प्रख्यापन तब किया जाता है, जब संसद / राज्य विधान मंडल का एक सदन / दोनों सदन सत्र में न हो। इस वजह से ही अध्यादेश के जरिये इस सामान्य विधायी प्रक्रिया को बाईपास कर कानून निर्माण किया जाता है।

अध्यादेश का पुन: प्रख्यापन सीधे तौर शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का उल्लंघन है, क्योंकि विधायी प्रक्रिया का अनुपालन नहीं होता है। साथ ही में अध्यादेश कार्यपालिका जारी करती है

शुरुआत ठीक है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright - Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

जबकि कानून निर्माण का लोकतांत्रिक जनादेश तो सम्पूर्ण संसद को मिला होता है। इस वजह से इसे लोकतंत्र के साथ छल भी कहा जाता है।

वस्तुतः संविधान में अध्यादेशों के प्रावधान अति-आवश्यक मुद्दों के लिए किया गया है किन्तु अध्यादेश का पुनः प्रख्यापन यह साबित करता है कि सरकार की मंशा सामान्य प्रक्रिया से बचकर कानून निर्माण की है। जिसकी आलोचना माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी की है।

अतः यह स्पष्ट है कि अध्यादेश का प्रयोग सरकार द्वारा अत्यन्त मजबूरी में किया जाना चाहिए ताकि संवैधानिक & लोकतांत्रिक मूल्य संरक्षित रहें।

3.5/10

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

2. "मूल संरचना का सिद्धांत आवश्यक और वांछनीय दोनों है।" कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (150 शब्द) 10

"Doctrine of basic structure is both necessary and desirable." Critically analyze the statement. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

मूल संरचना सिद्धांत की उत्पत्ति 1973 में केशवानंद भारती वाद में हुयी थी जिसके तहत संसद संविधान के मूल ढाँचे में संशोधन नहीं कर सकती है।

आवश्यकता :- i) मूल ढाँचे के सिद्धान्त ने कुछ संवैधानिक मूल्यों यथा संघवाद, पंथ निरपेक्षता आदि को अक्षुण्ण बनाये रखने में मदद की है

ii) कार्यपालिका, विधायिका & न्यायपालिका के बीच शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को लागू करने में सहायता की है।

iii) मूल संरचना की वजह से भारतीय लोकतांत्रिक मूल्यों पर विधायिका का पूर्ण नियंत्रण न होकर संविधान का है।

हालांकि कुछ आलोचकों का मानना है कि यदि यह सिद्धांत

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright Drishti The Vision Foundation

वास्तव में आवश्यक होता तो ऐसा कोई प्रावधान संविधान सभा भारतीय संविधान सभा में अवश्य करती। इसी के साथ मूल संरचना की असंशोधनीयता कुछ लोगों को प्रगतिशीलता के खिलाफ भी लगती है।

किन्तु मूल संरचना संविधान की विधायिका के मनमाने संशोधनों से सुरक्षा करती है तथा कुछ आधारभूत स्वतंत्रता के मूल्यों जैसे बंधुता, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, आदि की संरक्षा में योगदान देती है।

अतः मूल संरचना का सिद्धांत भले ही न्यायिक निर्वचन का परिणाम हो किन्तु यह अपने प्रभावों में संविधान संगत तथा उचित है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright Drishti The Vision Foundation

3. भारतीय प्रवासी समुदाय की प्रासंगिकता तथा भारत के आर्थिक एवं सामरिक हितों के संवर्द्धन में इनकी भूमिका पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

Discuss the significance of India's diaspora and its role in enhancing India's economic and strategic interests. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

भूमिका ठीक है।

भारतीय प्रवासी समुदाय आज विश्व में सबसे बड़ा समूह है। वस्तुतः भारत के लगभग २ करोड़ लोग प्रवासी समुदाय के रूप में हैं।

प्रासंगिकता : i) प्रवासी समुदाय विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं।

ii) विप्रेषण के माध्यम से विदेशी मुद्रा भण्डार की मजबूती बढ़ाते हैं। (वर्तमान में 600B$ विदेशी मुद्रा भंडार)

iii) सॉफ्ट पॉवर डिप्लोमैसी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

iv) पर्यटन, आदि की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं।

v) विदेशी धरती पर भारतीय हितों के

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

अनुकूल नीतियाँ बनाने में मदद करते हैं। जैसे - अमेरिकी H1B वीजा प्रणाली में संशोधन।

vi) प्रवासियों की राजनीतिक, आर्थिक ताकत की वजह से ही भारत को CAATSA जैसे प्रतिबंधों से सुरक्षा में मदद मिली है।

vii) इसी प्रकार कनाडा में सिख मंत्री, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, अमेरिका में भारतीय का जज बनना आदि उदाहरण प्रवासियों की महत्वपूर्ण स्थिति को उचित करते हैं।

अतः यह स्पष्ट है कि भारतीय प्रवासी आज के समय में भारत के सन्दर्भ में वैश्विक भूमिका का निर्वहि कर रहे हैं।

भारतीय संस्कृति एवं परम्परा को विदेशों में प्रसारित करते हैं।

मेजबान प्रवासी देशों के बीच सेतु निर्माता के रूप में

4.5/10

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

4. "राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) एक अनूठा मंच है, जिसे देश भर में पर्यावरणीय मुद्दों को स्वत: संज्ञान में लेने की शक्तियाँ प्राप्त हैं।" इस संदर्भ में राष्ट्र के पर्यावरण शासन में NGT के महत्त्व का विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द) 10

"National Green Tribunal (NGT) is a unique forum endowed with suo motu powers to take up environmental issues across the country." In this context analyse the importance of NGT for environmental governance of the nation. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 2010 में NGT अधि० के तहत एक न्यायिक (सिविल न्यायालय) निकाय के रूप में पर्यावरण संबंधी मामलों के त्वरित निपटान हेतु किया गया था।

अभिगम ठीक है।

NGT का महत्त्व :- i) NGT पर्यावरणीय संदर्भ में स्वतः संज्ञान लेकर दंड (जुर्माना) निर्धारण कर सकता है। उदा० - श्री रवि शंकर द्वारा यमुना के किनारे आयोजित आर्ट ऑफ लिविंग समारोह से हुए पर्यावरणीय नुकसान की भरपाई का मुद्दा।

वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र।

अधिकरण के निर्णय बाध्यकारी होते हैं।

ii) सिविल न्यायालय की शक्तियों के तहत यह किसी को समन भेज सकता

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

है, हाजिरी देने, प्रमाण प्रस्तुत करने आदि के लिए बाध्य कर सकता है। जिससे पर्यावरणीय संबंधी मामलों को फॉस्ट ट्रैक करने में मदद मिलती है।

(iii) NGT के अधिकार क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण अधि०, 1986, सामान्य बीमा अधि०, जल प्रदूषण अधि०, 1974 आदि आते हैं तथा NGT के निर्णय के खिलाफ अपील केवल उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय में ही होती है। जो इसके निर्णय की प्रभाविता को बढ़ाता है।

निष्कर्षतया राष्ट्रीय हरित अधिकरण पर्यावरणीय सम्बन्धी मुद्दों के समाधान हेतु केन्द्रीय भूमिका निभा रहा है तथा साथ ही भारतीय न्यायपालिका पर पड़ने वाले बोझ को भी कम कर रहा है।

→ आपकी विषय वस्तु की समझ ठीक है।
→ उत्तर लेखन ठीक है।
→ प्रयास है।

4.5/10

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright - Drishti The Vision Foundation

5. भारत में न्यायिक सक्रियता का महत्त्वपूर्ण योगदान एक सुरक्षा वाल्व तथा यह विश्वास प्रदान करना है कि न्याय पहुँच से परे नहीं है। कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द) 10

The great contribution of Judicial activism in India has been to provide a safety valve and a hope that justice is not beyond reach. Critically analyze the statement. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

न्यायिक सक्रियता से आशय भारतीय न्यायपालिका द्वारा कानून निर्माण सम्बन्धी मुद्दों पर लोकहित के लिए विधायिका के अधिकारों के समानांतर कार्य करना है।

लोकतंत्र में न्यायिक सक्रियता का महत्व तब बहुत हो जाता है जब बनने वाले कानून जटिल हो या कानून निर्माण में देरी की वजह से न्याय न मिल पा रहा हो। जैसे कि विशाखा दिशा निर्देश न्यायिक सक्रियता का एक अच्छा उदाहरण है। इसी प्रकार न्याय का महंगा होना, इसे सर्वसुलभ नहीं रहने देता। इसी क्रम में सर्वोच्च

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर कई मुद्दों पर निर्णय दिये जाते है जैसे कि हाल ही में घटित मणिपुर घटनाक्रम में केंद्र सरकार को फटकार लगाना।

हालांकि न्यायिक सक्रियता से शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर आघात पहुँचता है तथा साथ ही विधायिका तथा कार्यपालिका की विश्वसनीयता पर भी चोट पहुँचती है जो कि लोकतंत्र के दीर्घजीवी होने के लिहाज से स्वास्थ्य अच्छा नहीं माना जा सकता है।

अतः न्यायिक सक्रियता मूलतः अच्छी प्रक्रिया है किन्तु यह सक्रियता अतिक्रमण में बदलकर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत संबंधी मूल ढाँचे को न बदल दे, यह ख्याल हमें रखना होगा।

न्यायिक सक्रियता को चुनौतियाँ स्पष्ट करें।

निष्कर्ष की जगह उत्तर में निबंध बेहतर होते।

3/10

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

6. चुनावों के राज्य वित्तपोषण की अवधारणा से आप किस सीमा तक सहमत हैं? (150 शब्द) 10

To what extent do you agree with the concept of state financing of elections? (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भूमिका अच्छी है।

लोकतंत्र में स्वस्थ, निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया का होना बहुत जरूरी है। इस सन्दर्भ में पारदर्शिता, वहनीयता बढ़ाने हेतु राज्य वित्तपोषण का मुद्दा चुनावों में कई बार उठाया गया है।

पक्ष में:- i) राज्य वित्तपोषण से गरीब तथा योग्य प्रत्याशी भी चुनाव लड़ने में सक्षम हो पायेगा।

ii) राज्य वित्तपोषण से भ्रष्टाचार, धन का गलत उपयोग जैसी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

iii) राज्य वित्तपोषण कुछ शर्तों के साथ (जैसे- आपराधिक इतिहास का न होना आदि) दिया जायेगा। फलत: चुनावी प्रक्रिया अधिक समावेशी बनेगी।

iv) राज्य वित्तपोषण से अर्थव्यवस्था में मांग में आवृत्ति बढ़ेगी। फलत: राज्य को

Copyright – Drishti The Vision Foundation

लाभ होगा।

विपक्ष :- i) राज्य वित्तपोषण के बावजूद लोग निजी धन का प्रयोग भ्रष्टाचार, धन वितरण में कर चुनाव को अति खर्चीली प्रक्रिया बना देंगे।

ii) राज्य वित्त वितरण की प्रक्रिया स्वयं भ्रष्टाचार का शिकार हो सकती है। राजीव गांधी का PDS प्रणाली संबंधी कथन से यह जोखिम समझा जा सकता है।

iii) भारत जैसे विकासशील देश में राज्य चुनावी खर्चों के लिए दिया गया धन कहीं अन्य कल्याणकारी तथा उत्पादक जगहों में प्रयोग किया जा सके।

इस प्रकार मेरा मानना है कि यदि राज्य वित्त पोषण को चुनावों में लागू किया जावे तो उसे एक स्वतंत्र, सशक्त चुनाव आयोग के निर्देशन में पारदर्शिता के साथ लागू किया जावे अन्यथा नहीं।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

7. सामाजिक अंकेक्षण, जवाबदेहिता को लागू करने और प्रशासन में पारदर्शिता लाने का एक महत्त्वपूर्ण तंत्र है। भारत में सामाजिक अंकेक्षण के लिये उपलब्ध विभिन्न विधायी समर्थनों पर प्रकाश डालिये।

(150 शब्द) 10

Social Audit is an important mechanism to enforce accountability and provide transparency in the administration. Highlight various legislative supports available for social audit in India.

(150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

सामाजिक अंकेक्षण के तहत विभिन्न सरकारी योजनाओं की अंकेक्षण संबंधी कार्यवाही प्रभावित होने वाले समाज से रियल टाइम के आधार पर कराई जाती है।

वस्तुतः सामाजिक अंकेक्षण के जरिये जवाबदेहिता & पारदर्शिता लाने में मदद मिलती है। इसके जरिये जमीनी स्तर पर किया गया कार्य मापा जाता है तथा यह तुलना की जाती है कि प्रशासन द्वारा किये गये दावे कितना सही है। इसी प्रकार सामाजिक अंकेक्षण के जरिये एकत्र आँकड़ा प्रत्यक्ष स्रोत से लिया जाता है। जिस वजह से किये गये भ्रष्टाचार

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

का आसानी से पता चल जाता है।

भारत में मंत्रालय में सामाजिक मंकेक्षण अनिवार्य किया गया है। इसी प्रकार मनरेगा जैसी केंद्रीय योजनाओं में भी सामाजिक मंकेक्षण को अनिवार्य बनाया गया है।

भारत में सामाजिक मंकेक्षण हेतु विधायी समर्थनों में सूचना का अधिकार अधिनियम आदि प्रमुख है जिसके तहत प्रशासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेहिता विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है।

निष्कर्ष तौर पर यह स्पष्ट है कि सरकारी योजनाओं की कुशलता, दक्षता के परीक्षण हेतु सामाजिक मंकेक्षण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।

3/10

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright Drishti The Vision Foundation

8. प्रस्तावित बहु-राज्य सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2022 भारत में सहकारी समितियों के संचालन में सुधार का उद्देश्य रखता है। इस संशोधन के महत्त्व पर बल देते हुए इसके प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

The proposed multi-state cooperative societies (Amendment) Bill 2022 seeks to revamp the operation of cooperative societies in India. Discuss the key provisions of the Bill, emphasizing the importance of this amendment. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

बहु-राज्य सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2022 भारत के संविधान के भाग 9(B) के तहत दिये गये प्रावधान के तहत बनाया गया है।

प्रमुख प्रावधान: i) बहु-राज्य सहकारी समिति के चुनाव हेतु एक समिति की स्थापना की जायेगी।

ii) निदेशकों की संख्या निर्धारित कर दी गयी है।

iii) बहु-राज्यीय सहकारी समितियों पर नियंत्रण केंद्र सरकार का रहेगा।

iv) बहु-राज्य सहकारी समितियां विदेशों से अंशदान प्राप्त कर सकेंगी। (FCRA, 2002 अधिनियम के तहत)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उपर्युक्त विधेयक का निर्माण भारत के संदर्भ में सहकारी समितियों के महत्व को देखते हुए किया गया है। ताकि सहकारी समितियों की क्षमता का पूर्ण उपयोग भारतीय विकास के सन्दर्भ में किया जा सके। उदा० - अमूल आदि सहकारी उद्यम काफी आर्थिक, सामाजिक महत्व रखते हैं।

अतः हम कह सकते है कि बहुराज्यीय सहकारी समितियों के सुधार संबंधी प्रक्रिया की शुरुआत सहकारिता मंत्रा० की स्थापना के साथ की गयी थी। जिसकी सुधार प्रक्रिया बहु राज्यीय सहकारी समिति अधि० के तहत अभी भी जारी है।

संशोधन के महत्व को और बेहतर स्पष्ट करें।

विषय को समझा है परन्तु उत्तर में विविध पक्षों की चर्चा करें।

3/10

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

9. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये, जो जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। (150 शब्द) 10

Critically evaluate the 73rd Constitutional Amendment Act 1992, that seeks to establish democracy at the grassroots. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

73 वें संविधान संशोधन अधि. 1992 की स्थापना पंचायती राज को संवैधानिक स्तर प्रदान कर ग्राम पंचायत, जिला पंचायत की स्थापना करना था।

प्रमुख प्रावधान:- i) 10 लाख से अधिक आबादी वाले राज्य में पंचायत का त्रिस्तरीय ढाँचा

ii) SC, ST & महिलाओं को अनिवार्य आरक्षण

iii) राज्य निर्वाचन आयोग & वित्त आयोग की स्थापना

iv) पंचायत संबंधी विषयों का 11 वीं अनुसूची में समावेश।

वस्तुतः इस अधि० के माध्यम से लोकतंत्र की विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया की गयी। इससे स्थानीय स्तर के मुद्दों को महत्व मिलना शुरू हुआ तथा पंचायत स्तर पर लोकतंत्र की शुरुआत हुयी।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright Drishti The Vision Foundation

drishti दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

इसी क्रम में ग्राम सभा के माध्यम से स्थानीय मुद्दों में ग्रामीणों का हस्तक्षेप बढ़ा तथा विभिन्न करों को लगाकर इन्होंने अपने वित्तीय संसाधन भी जुटाए। इसी के साथ महिलाओं के राजनीतिक सशक्तीकरण भी हुआ।

हालांकि इन प्रावधानों ने अपेक्षित परिणाम नहीं दिये हैं। जैसे कि पंचायत चुनावों में धन का प्रयोग, मदिरा का वितरण, चुनावी हिंसा का होना आदि मुद्दे ऐसे भी हैं जिनकी चुनौती अभी भी बनी हुयी है।

अतः इस अधिनियम के माध्यम से लोकतंत्र की स्थापना का ग्रामीण स्तर पर भगीरथ प्रयास शुरू तो हुआ है किन्तु इस लोकतंत्र रूपी गंगा को पैसा, पेसा से होकर बहुत लम्बी दूरी तय करनी है।

3.5/10

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

10. जनगणना में होने वाली देरी से विकासात्मक पहलों की प्रभावशीलता और दक्षता प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है। चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

Delay in Population census has the potential to affect the efficacy and efficiency of developmental initiatives. Discuss. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष पर भारत के महारजिस्ट्रार जनरल कार्यालय (गृह मंत्रालय) के तहत होने वाली प्रक्रिया है। आखिरी जनगणना 2011 में की गयी थी।

वस्तुतः जनगणना संबंधी कार्य के निम्न फायदे हैं:-

i) राष्ट्र के सम्बन्ध में विभिन्न जानकारियाँ यथा लोगों की संख्या, लिंगानुपात, साक्षरता दर आदि का पता चलता है।

ii) इन आकड़ो से नीतियों की प्रभावीता तथा भविष्य की रणनीति बनाने में मदद मिलती है।

iii) जनगणना संबंधी आँकड़ो से देश के सामाजिक विकास की स्थिति का पता चलता है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

वहीं अगर जनगणना संबंधी कार्य विलम्बित हो जाये तो सरकार को नीति निर्धारण हेतु आवश्यक आँकड़े ही उपलब्ध नहीं होंगे। यह पता ही नहीं होगा कि आगामी बजट में किस सामाजिक क्षेत्र में कैसी प्रगति हुयी है और कितना धन आवंटन करना है। वस्तुतः राज्य की आर्थिक नीतियों की सामाजिक सफलता का प्रमाण होती है "जनगणना"। इस वजह से जनगणना संबंधी कार्य न होने से पहलों की प्रभावशीलता व दक्षता प्रभावित होना लाजिमी है।

अतः यह निष्कर्ष कि जनगणना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि आधुनिक समय में आँकड़े ही धन हैं (Data is the new oil)।

4.5/10

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

11. बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य के आलोक में भारत-जापान सामरिक संबंधों में सहयोग के उभरते क्षेत्र और चुनौतियाँ क्या हैं? (250 शब्द) 15

In light of the changing geopolitical landscape, what are the emerging areas of cooperation and potential challenges in the India-Japan strategic relationship? (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

संक्षेप में भारत जापान संबंधों की पृष्ठभूमि दें

भारत- जापान संबंधों की मुख्य बुनियाद भारत की लुक- ईस्ट नीति तथा भारत के इंडो-पैसिफिक में संतुलन स्थापित करने के प्रयासों से रखी गयी है।

भारत - जापान सहयोग के क्षेत्र :-

i) सामरिक क्षेत्र में चीन जैसी उभयनिष्ठ चिंता

ii) आर्थिक क्षेत्र में जापान में आते deflation और भारत में बढ़ता उसका निवेश, उदा०- बुलेट ट्रेन, एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, औद्योगिक विकास गलियारे में योगदान

iii) बहुपक्षीय मंचो पर एक साथ सहयोग व समन्वय जैसे- क्वाड, मालाबार सैन्य-अभ्यास, UN आदि

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

अभ्यर्थी को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

iv) रोजगार के क्षेत्र में भारत व जापान के बीच हुआ भारतीय श्रमिकों के कौशल उन्नयन का समझौता

v) विभिन्न युद्धाभ्यास। उदा० धर्म गार्जियन, जिमेक्स, शिनायु मैत्री आदि।

vi) भारतीय प्रवासियों के रूप में उपलब्ध डायस्पोरा।

vii) सांस्कृतिक व धार्मिक क्षेत्र में बौद्ध धर्म सम्बन्धी साझी विरासत।

इस प्रकार भारत-जापान सम्बन्धों में बहुआयामी सहयोग सम्बन्ध है। इस सन्दर्भ में निम्न चुनौतियाँ विद्यमान हैं:-

i) क्वाड जैसे संगठनों की वजह से रूस जैसे पारंपरिक मित्र राष्ट्रों के साथ संबंधों में दरार की संभावना।

ii) बुलेट ट्रेन जैसे प्रोजेक्ट में लेट-

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

लती की।

iii) जापान के साथ हमारा व्यापार घाटा भी चिंता का विषय बन सकता है।

iv) RCEP में भारत का शामिल न होना, जापान को पसंद नहीं आया है।

इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारत-जापान सम्बन्ध काफी विकसित है तथा उन पर इन चुनौतियों का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने की संभावना है तभी जब शिंजो आबे की मृत्यु होती है तो भारत में एक दिन का राजकीय शोक मनाकर भारत-जापान सम्बन्धों की मजबूती प्रकट होती है।

6.5/15

→ आपकी approach ठीक है

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

12. समकालीन वैश्विक व्यवस्था में संयुक्त राष्ट्र के महत्त्व का आकलन कीजिये तथा इसके सुधार और पुनरुद्धार की आवश्यकता पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

Assess the significance of the United Nations in the contemporary world and discuss the need for its reform and revitalization. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

संयुक्त राष्ट्र की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद न्यूयार्क में 1945 में की गयी ताकि विश्व फिर कभी ऐसी विभीषिका में न उलझ जाये।

भूमिका ठीक है

महत्व :- i) संयुक्त राष्ट्र अपनी विभिन्न संस्थाओं जैसे- मानवाधिकार परिषद, महासभा, सांस्कृतिक परिषद आदि की सहायता से विश्व में नियंत्रण कायम रखता है।

ii) शांति सेना के माध्यम से विभिन्न विद्रोहग्रस्त इलाकों में मदद करता है।

iii) सुरक्षा परिषद के जरिये दबाव डालकर विभिन्न युद्ध विरामों को करवाना या राष्ट्रों को युद्ध शुरू करने से पहले ही दबाव में लाना।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti दृष्टि The Vision

iv) अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जैसी संस्थाओं के माध्यम से राष्ट्रों के विवाद का निपटान

सुधार :- i) सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का क्षेत्रीय आधार पर सुधार जरूरी। इस सन्दर्भ में G4 क्लब या कॉफी क्लब महत्वपूर्ण है।

ii) संयुक्त राष्ट्र की स्वयं की कोई सेना नहीं है। जिस कारण इस के निर्णयों को लागू कराना कई बार राजनीतिक रूप ले लेता है।

iii) कोरोना महामारी जैसे मुद्दे पर उचित जवाबदेही तय करने में विफल।

iv) संयुक्त राष्ट्र के होते हुए रूस-यूक्रेन युद्ध का होना

v) भारत-चीन के बीच गलवान घाटी संघर्ष, भारत-पाक युद्ध आदि

रवांडा, पूर्व नरसंहार और अत्याचार (रोहिंग्या) में विफल

Copyright – Drishti The Vision Foundation
अभ्यर्थी को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

drishti | दृष्टि The Vision

अभ्यर्थी इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

उपर्युक्त संदर्भों में संयुक्त राष्ट्र को एक सक्षम संगठन बनाने की जरूरत है जिसकी स्वयं की सेना हो, स्वयं के आर्थिक संसाधन हों तथा सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट से मिलने वाले वीटो का भी तार्किकीकरण आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र से विभिन्न देशों के एकाधिकार की समाप्ति की भी जरूरत है जैसे कि पहले USA का था, अब चीन का स्थापित हो रहा है।

अतः संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जिस भूमिका के लिए की गयी थी उसमें वह निभाने की कोशिश तो की है किन्तु कुछ समस्याओं के चलते इसमें अभी कई सुधार किये जाने बाकी हैं।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

13. उन कारकों एवं भू-राजनीतिक हितों पर चर्चा कीजिये जो मध्य एशिया के साथ भारत के संबंधों को एक आकार प्रदान करते हैं। उन कदमों का भी उल्लेख कीजिये जिन्हें भारत को इस क्षेत्र में अपनी पहुँच बढ़ाने के लिये उठाने की आवश्यकता है। (250 शब्द) 15

Discuss factors and geopolitical interest which shapes India's engagement with central Asia. Also Mention steps which India need to take to enhance its reach in the region. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

मध्य एशिया भारत के लिए यूरोप का द्वार है तथा विभिन्न ऊर्जा संसाधनों का यहाँ पर भंडार है।

मध्य एशिया & भारत :

i) भारत की ऊर्जा सुरक्षा हेतु

ii) यूरोप तक पहुँचने के लिए स्थलीय रास्ता (उदा० - INSTC, अश्गाबात समझौता)

iii) सांस्कृतिक & ऐतिहासिक संबंध (अशोक & मुगल काल में भारत का विस्तार था)

iv) शंघाई सहयोग संगठन में संतुलन तथा उसकी प्रासंगिकता बनाये रखने हेतु

v) अफगानिस्तान की शांति, समृद्धता, स्थिरता हेतु क्योंकि यह भारत का पड़ोसी है

संदर्भ में संबंधों की पृष्ठभूमि लिखें

भारत के भूराजनीतिक हित व चीन के प्रभुत्व को सीमित करना

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

vi) सऊदी अरब, ईराक आदि पर अपनी कच्चे तेल की निर्भरता कम करने हेतु

vii) भारत का एकमात्र सैन्य अड्डा (फरखोर) जो विदेशी क्षेत्र में स्थित है (ताजिकिस्तान)

viii) मध्य एशिया से अच्छे रिश्ते चीन पर एक रणनीतिक दबाव बनाने में मदद करेंगे।

* भारत द्वारा किये जा रहे प्रयास :

i) TAPI (तुर्कमेनिस्तान - अफगानिस्तान - पाकिस्तान - भारत) पाइपलाइन की स्थापना

ii) उत्तर - दक्षिण पारगमन गलियारे की शुरुआत

iii) मध्य एशिया में भारतीय प्रवासियों द्वारा मेडिकल आदि की पढ़ाई हेतु किया जाना)

iv) कजाकिस्तान से असैन्य परमाणु समझौता (विश्व का सबसे ज्यादा

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

यूरेनियम कजाखस्तान में)

v) IPI पाइपलाइन की शुरुआत।

vi) मध्य एशियाई देशों के साथ विभिन्न तकनीकी सहयोग संबंधी शुरुआत ताकि स्वास्थ्य, कृषि, विनिर्माण आदि क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जा सके।

vii) वैक्सीन मैत्री पहल के तहत

viii) कूटनीतिक स्तर पर विदेश मंत्री तथा राष्ट्रपति की मध्य एशियाई देशों की यात्रा।

निष्कर्षतया यह कहना उचित प्रतीत होता है कि भारत की सक्रिय विदेश नीति की वजह से मध्य एशिया के साथ संबंध अभी तक के सबसे अच्छे दौर से गुजर रहें है।

6/15

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

14. संविधान निर्माताओं ने भारत के लिये एक समान नागरिक संहिता की "आशा और अपेक्षा" की थी, लेकिन इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया है। इस संदर्भ में भारत में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर चर्चा करते हुए इसके कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों का परीक्षण कीजिये। इन चुनौतियों से निपटने के लिये सरकार क्या कदम उठा सकती है? (250 शब्द) 15

The founders of the Constitution had "hoped and expected" a Uniform Civil Code for India but there has been no attempt at framing one. In this regard discuss the need for a Uniform Civil Code in India and examine the challenges in its implementation. What steps can be taken by the government to overcome these challenges? (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

समान नागरिक संहिता सम्बन्धी प्रावधान अनु० -44 (राज्य के नीति निदेशक तत्व) में पाया जाता है। इसके तहत सभी समूहों के पर्सनल लॉ, सिविल कानूनों में व्याप्त विभेदों को समाप्त करना शामिल है।

भूमिका ठीक है

आवश्यकता :- i) भारत की धार्मिक, जातीय विविधता के चलते विभिन्न नागरिक तथा पर्सनल कानूनों की उपस्थिति।

ii) पर्सनल लॉ के आधार पर महिला सम्बन्धी विभेदक कानूनों की स्वीकृति नहीं दी जा सकती (जैसे- तीन तलाक बहु विवाह आदि)

iii) हिन्दू धर्म संबंधी प्रावधानों का प्रभाव

व्यक्तिगत कानूनों की भेदभावपूर्ण प्रकृति :-

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

1956 में हिन्दू उत्तराधिकार नियम आदि के तहत हुआ। अब जरूरत है कि सभी समूहों को इस तरह की समानता प्रदान की जाये।

iv) आधुनिक समाज में यह नैतिक भी नहीं कि एक देश में रहने वाले नागरिक विभिन्न कानूनों से शासित हों यथा 'एक देश एक कानून'

<u>चुनौतियाँ</u>: i) पर्सनल लॉ धर्म सम्बन्धी होते हैं अतः धार्मिक तनाव का खतरा

ii) अनु० 25, 26, 27, 30 के तहत अल्पसंख्यक अधिकारों का हनन होने की संभावना

iii) समाज में समान नागरिक संहिता के विरोध में अफवाहों का होना

iv) जागरूकता की कमी कि समान नागरिक संहिता लाभदायक है कि न कि विभेदकारी / दमनकारी

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

सरकारी प्रयास :- i) इस सन्दर्भ मे प्रभावित होने वाले समूहों में जागरूकता का प्रसार

ii) धीरे-धीरे परिवर्तन की तरफ बढ़ा जाये

iii) समान नागरिक संहिता के पक्ष में आम सहमति निर्माण का प्रयास किया

iv) इसी प्रकार इससे सम्बन्धित लोगों के सन्दर्भ मे प्रचार-प्रसार कर लोगों का डर दूर किया जाये।

v) इसकी जवैधानिकता को समझाते हुए यह दृष्टिकोण खत्म किया जाये कि यह राजनीतिकरण की वजह से दमन का प्रयास है।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि समान नागरिक संहिता भारतीय विविधतायुक्त समाज मे लागू करने में काफी चुनौतियाँ भरा कार्य होगा।

6.5 / 15

→ विषय वस्तु ज्ञान पर्याप्त ठीक है

→ उत्तर की संरचना अच्छी है

→ प्रयास है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

15. "भारतीय संसद एक संप्रभु विधायिका नहीं है; इसकी शक्तियाँ विशाल हैं लेकिन असीमित नहीं।" कथन पर टिप्पणी कीजिये। (250 शब्द) 15

"The Indian Parliament is not a sovereign legislature; it has vast but not unlimited powers." Comment on the statement. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

भारतीय संसद, लोकतंत्र के तीन प्रमुख स्तम्भों में से एक है जिसमें जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि प्रतिभाग करते हैं।

वस्तुतः भारतीय संसद पूर्ण अर्थ में संप्रभु नहीं है क्योंकि इस पर संविधान आधारित प्रतिबंध लगे हुए हैं तथा यह अपनी शक्ति भी वहीं से अर्जित करता है। इस सन्दर्भ में इंग्लैण्ड की संसद को पूर्ण संप्रभु माना जा सकता है।

भारतीय संसद की शक्तियाँ :- i) संविधान संशोधन करना ii) भारत के राज्यक्षेत्र के लिए कानून निर्माण

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

अभ्यर्थियों को इस क्षेत्र में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

iii) भारत के बाहर लागू होने वाला भी कानून निर्माण (उदा० - दूतावास संबंधी, NRI पर लागू होने वाला)

iv) भारतीय लोगों के सन्दर्भ में सभी विधिक, कार्यकारी निर्णय लेना।

v) न्यायपालिका के साथ शक्ति संतुलन स्थापित करना।

vi) भारतीय राजकोष सम्बन्धी सारे निर्णय लेना।

vii) विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति सम्बन्धी कानून बनाना (जैसे - CVC, CIC, आदि)

उपर्युक्त प्रावधानों से स्पष्ट होता है कि भारतीय विधायिका की शक्तियाँ अत्यन्त है किन्तु इन पर कुछ बंधन भी है:-

i) सारे कार्य संविधान के दायरे में

ii) संविधान के मूल ढाँचे में

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

संशोधन नहीं कर सकती।

iii) न्यायिक पुनरीक्षण के माध्यम से बनाये गये कानूनों की तार्किकता जाँचना

iv) लिखित संविधान की उपस्थिति

v) मार्गदर्शक के रूप में प्रस्तावना का होना

vi) मूल अधिकार (अनु. 20, 21) तथा नीति निदेशक तत्वों की उपस्थिति

इस प्रकार स्पष्ट है कि भारतीय संसद एक विशिष्ट अर्थ में संप्रभु निकाय है किन्तु पूर्ण संप्रभु नहीं। यह उचित भी है क्योंकि भारत एक विविधता युक्त देश है जिसका संचालन संवैधानिक मूल्यों पर होना चाहिए तथा कुछ चीजों को कभी भी नहीं बदला (पंथनिरपेक्षता, स्वतंत्रता आदि) जाना चाहिए।

6/15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

16. वैश्वीकरण के युग में, विदेश नीति को आकार देने में पैरा डिप्लोमेसी की अवधारणा का महत्त्व उत्तरोत्तर बढ़ा है और यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपराष्ट्रीय अभिकर्त्ताओं की बढ़ती भूमिका को प्रदर्शित करता है। भारत के संदर्भ में सविस्तार वर्णन कीजिये। (250 शब्द) 15

"In the era of globalization, the concept of Para diplomacy has become increasingly important in shaping foreign policy, highlighting the growing significance of subnational actors in international relations". Elaborate in the context of India. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

वैश्वीकरण के युग में किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति परंपरागत आर्थिक, सामरिक हितों के साथ-साथ विभिन्न सांस्कृतिक, उपराष्ट्रीय तथा सामाजिक हितों से भी परिचालित होती है।

इस सन्दर्भ में निम्न बिंदुओं को देखा जा सकता है:-

i) वैश्वीकरण के चलते विभिन्न राष्ट्रों की आपसी सम्बन्धता आर्थिक हितों से ऊपर उठकर राजनीतिक, सांस्कृतिक स्तर तक पहुँची है।

ii) प्रवासी संबंधी मुद्दों पर भी विदेश नीति प्रभावित होती है।

iii) प्रवासियों का दूसरे राष्ट्र का

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

नागरिक बनना तथा महत्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक, विधिक पदों पर पहुँचना। इन संस्थाओं से भी विदेश नीति प्रभावित होती है। जैसे - ऋषि सुनक का ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनने पर भारत द्वारा ब्रिटिश-भारत संबंधों में अधिक उन्नति की उम्मीद करना।

iii) इसी प्रकार विभिन्न कार्पोरेट घरानों आदि के चलते भी विदेश नीति प्रभावित होती है। जैसे कि अमेरिका द्वारा रूस के विभिन्न उद्योगपतियों को यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर प्रतिबंधित करना, अमेरिकी - चीन व्यापार युद्ध।

iv) उपराष्ट्रीय अभिकारकों के तहत विभिन्न NGO तथा अन्य संस्थाएँ भी विदेश नीति निर्धारण में योगदान करती है।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

अभ्यर्थी को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

vi) इस प्रकार सॉफ्ट पॉवर, सांस्कृतिक सम्बन्धों के साथ विकसित होती है। इसी वैश्वीकरण के समय में इसका महत्व दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है।

vii) भारतीय प्रवासियों में मेडिकल, तैराकिक आदि पेशेवरों की बढ़ती संख्या भी विभिन्न देशों को भारत के प्रति अनुकूल विदेश नीति अपनाने को प्रेरित करता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि विदेश नीति एक बहुआयामी हित आधारित प्रक्रिया है। जिसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय हितों का साधना तथा वैश्विक परिदृश्य में राष्ट्र की छवि को मजबूत करना होता है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

17. भारत की राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति के उद्देश्य, लक्ष्यों और महत्त्व पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

Discuss the objective, goals and significance of India's National Geospatial policy. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

भारत की राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति का मुख्य उद्देश्य वर्तमान में भू-स्थानिक संबंधी आँकड़ों का एकत्रण, संसाधन तथा उनका भारत के हित में प्रयोग करना है।

उद्देश्य :- i) भू-स्थानिक आँकड़ों को एकत्र करना

ii) आँकड़ों के एकत्रण से एक स्पष्ट परिदृश्य का निर्माण

iii) एकत्रण हेतु नीति निर्माण से संबंधी बाधाओं का समाधान तथा आधारभूत ढाँचे का निर्माण

iv) भू-स्थानिक आँकड़ो के एकत्रण हेतु कुशल मानव बल तैयार करना तथा इसका भारतीय हितों के

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

अनुकूल उपयोग हेतु नीति निर्माण करना।

लक्ष्य : i) भू-स्थानिक नीति के मदद से हम भारतीय भौगोलिक परिस्थितियों संबंधी आँकड़ों को सटीक से समझ पायेंगे।

ii) डाटा संग्रह केन्द्र का निर्माण (उदा० - नोएडा में डेटा सेन्टर का निर्माण

iii) जिओ-स्पासिअल आँकड़ों की अद्यतन स्थिति को बनाये रखना।

महत्व : i) कृत्रिम बुद्धिमता तथा ब्लॉकचेन के युग में आँकड़े ही सबकुछ है। अतः भू-स्थान संबंधी आँकड़े भी महत्वपूर्ण है।

ii) इसी प्रकार भू-स्थान संबंधी आँकड़ों में स्वदेशी नेविगेशन के बाद से

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

शुद्धता, सटीकता में वृद्धि हुयी है।

(iii) नीति निर्माण तथा क्रियान्वयन में Geo-tagging के महत्व को इससे बढ़ाया जा सकता है।

iv) भू-स्थानिक आँकड़ो का प्रयोग कर रियल टाइम ट्रैकिंग को सम्भव बनाकर इन्हा सम्बन्धी परियोजनाओं की दक्षता, कुशलता निर्धारित की जा सकेगी।

अतः स्पष्ट है कि राष्ट्रीय - भू-स्थानिक नीति भारतीय राज्य के कल्याणकारी स्वरूप की संपूर्णता के लिए काफी महत्वपूर्ण है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

18. 'गरिमा मानव जीवन का सार है' और यही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) का लक्ष्य है। मानवाधिकारों के संरक्षण में NHRC के प्रदर्शन का मूल्यांकन कीजिये। (250 शब्द) 15

'Dignity is the essence of human life' and it is the objective of NHRC. Evaluate the performance of NHRC in preserving human rights. (250 words) 15

अभ्यर्थियों को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संवैधिक संस्था है जिसकी स्थापना भारत में आधारभूत मानव स्वतंत्रता सम्बन्धी मुद्दों के समाधान हेतु की गयी थी।

मानवाधिकार आयोग की शक्तियाँ

- सिविल न्यायालय की शक्तियाँ
- स्वतः संज्ञान लेकर कार्यवाही शुरू कर
- आर्थिक दंड या अन्य दंड सम्बन्धी सिफारिश सरकार/ न्यायपालिका
- मानवाधिकार उल्लंघन हेतु साक्ष्य, प्रमाण प्रस्तुत करने को बाध्य कर सकता
- संरचना में महिला आयोग, SC&ST आयोग सम्बन्धी अध्यक्ष पदेन सदस्य होते है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

मानवाधिकार आयोग का मूल्यांकन:-

i) हालांकि यह स्वतः संज्ञान ले सकता है, किन्तु न्यायालय में लंबित मामलों में नहीं। फलतः कई बार न्यायिक कार्यवाही की देरी से इसकी प्रभावकता प्रभावित होती है।

ii) इसी क्रम में यह मानवाधिकार उल्लंघन के मामलें में दंड की सिफारिश कर सकता है, उसे लागू नहीं करवा सकता है।

iii) इसी प्रकार सिविल न्यायालय संबंधी शक्तियाँ होने के बावजूद इसके पास अवमानना संबंधी शक्तियों का अभाव

iv) किन्तु मानवाधिकार परिषद द्वारा विभिन्न मामलों में स्वतः संज्ञान

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

लेकर कार्यवाही कर न्यायिक विलंबता का एक वैकल्पिक मार्ग प्रस्तुत किया है।

v) इसी प्रकार न्यायिक सक्रियता संबंधी अवधारणा को भी पुष्ट करने में भूमिका निभायी है।

vi) अपने स्तर से मानवाधिकार संरक्षण का भरपूर प्रयास किया है। तथा मानवाधिकार उल्लंघन संबंधी दंड की सिफारिश करना भी महत्वपूर्ण कार्य है।

निष्कर्ष रूप में यह कहना उचित होगा कि मानवाधिकार परिषद् को संवैधानिक दर्जा देने के साथ-साथ उल्लंघन संबंधी मामलों से निपटने हेतु वास्तविक शक्तियाँ (अधिकरण की तरह) प्रदान की जायें।

7/15

Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

19. स्वयं सहायता समूह (SHG) देश के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हैं। इन समूहों को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15
Self Help Groups (SHGs) are the panacea for the socio-economic development of the country. Discuss the steps taken by the government to promote these groups.
(250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

स्वंय सहायता समूह भारत के आर्थिक, राजनीतिक लोकतंत्र के सशक्तीकरण हेतु प्रारंभिक बिन्दु की तरह कार्य करते हैं जहाँ मुख्यतया: भारत की आधी आबादी का सशक्तीकरण सुनिश्चित किया जाता है।

शुरुआत ठीक है।

* स्वंय सहायता समूह
महत्त्व

- समूहीकरण के माध्यम से राजनीतिक सशक्तीकरण
- बैंकों से ऋण मिलना आसान → आर्थिक सशक्तीकरण में उपयोगी
- एक-दूसरे के कौशल उपयोग से → विनिर्माण प्रक्रिया कुशलता में वृद्धि
- सामाजिक सौहार्द में वृद्धि
- लोक कला-शिल्प को प्रोत्साहन → संस्कृति परिरक्षण को प्रोत्साहन

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

अभ्यर्थी को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

स्वयं सहायता समूहों को भारतीय उदारीकरण के बाद से अत्यधिक सरकारी, सामाजिक तथा निजी क्षेत्र की तरफ से महत्व व मदद मिलना शुरू हुआ है। इस सन्दर्भ में ये विभिन्न उत्पादों का निर्माण (MSME) कर, विभिन्न सेवाओं को प्रदान कर (आपस में ऋण एवं बचत) भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति में योगदान दे रहे हैं।

सरकारी प्रयास :- i) स्वयं सहायता समूहों की मदद हेतु बैंकों द्वारा कम ब्याज दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।

ii) मुद्रा योजना, आजीविका मिशन

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

आदि के सन्दर्भ में इसे समझा जा सकता है।

iii) स्वेय सहायता समूहों के वंजीकरण तथा विनियमन को काफी सरल किया गया है तथा इसी क्रम में स्वेय सहायता समूह मित्र जैसी अवधारणा भी लागू की जा सकती है।

iv) कई मामलों में संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान कर आर्थिक गतिविधियों में मदद प्रदान की जाती है।

अतः स्पष्ट है कि स्वयं सहायता समूह भारत के आर्थिक विकेंद्रीकरण के जरिये समावेशी विकास के साथ-साथ राजनीतिक सशक्तीकरण की प्रक्रिया में भी योगदान दे रहे हैं।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

20. विश्व के लिये ताइवान के सामरिक महत्त्व का आकलन करते हुए यह निर्धारित कीजिये कि एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में इसकी अवस्थिति और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में एक संभावित फ्लैशपॉइंट क्षेत्र के रूप में यह 21वीं सदी में शक्ति के भू-राजनीतिक संतुलन को कैसे प्रभावित करता है?

(250 शब्द) 15

Assess the strategic significance of Taiwan for the world, and how its position as a major economic power and a potential flashpoint in the Asia-Pacific region affects the geopolitical balance of power in the 21st century.

(250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

ताइवान एक द्वीपीय देश (दक्षिणी चीन सागर) है जिसकी भू-राजनीतिक अवस्थिति तथा तकनीकी कुशलता (सेमी कन्डक्टर चिप निर्माण संबंधी) से सम्पूर्ण विश्व के सामरिक, आर्थिक, सामाजिक हित इससे जुड़े हुए हैं।

सामरिक महत्व ताइवान का

- दक्षिणी चीन सागर में चीन को शक्तिसंतुलित करने हेतु
- सेमी कंडक्टर का सबसे बड़ा निर्माता → फलतः विभिन्न युद्ध उपकरणों में चिप प्रयोग से इसका महत्व बढ़ जाता है।
- एक चीन नीति संबंधी मुद्दे पर मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने हेतु

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

(परीक्षार्थी को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।)
(Candidate must not write on this margin)

आक्रामक विदेश नीति को प्रतिसंतुलित करने में ताइवान महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसी प्रकार चीन के मानवाधिकार उल्लंघन कर्ता के मुखौटे से संघर्ष की स्थिति में ताइवान की लोकतांत्रिक ~~प्रक्रिया~~ प्रणाली एक मनोवैज्ञानिक बढ़त प्रदान करेगी तथा ताइवान की मदद हेतु विश्व व्यवस्था को एक वैध वजह प्रदान करेगी। साथ ही यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि ताइवान की उपस्थिति दक्षिणी चीन सागर संबंधी व्यापारिक मार्ग को सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण है।

अतः 21वीं सदी में हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र में ताइवान एक महत्वपूर्ण सामरिक तथा आर्थिक भूमिका निभायेगा।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

ताइवान का आर्थिक महत्व है i) दक्षिण चीन सागर में इसकी अवस्थिति महत्वपूर्ण है। वस्तुतः यह विश्व का महत्वपूर्ण व्यापार (समुद्री) रास्ता है।
ii) ताइवान की कम्पनियों का विभिन्न देशों में भारी निवेश
iii) तकनीकी कुशलता की वजह से आधुनिक विश्व में महत्वपूर्ण

उपर्युक्त विवरण से ताइवान का आर्थिक व सामरिक महत्व स्थापित होता है। वस्तुतः 21 वीं सदी में जब विश्व के 90% दुर्लभ मृदा तत्वों पर चीन का नियंत्रण हो तो ताइवान का महत्व बढ़ जाता है साथ ही नाइन-डैश लाइन के जरिये दक्षिणी चीन सागर में चीन की

6.5/15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)
www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation